::/ विज्ञापन /::
टैक्स वसूली हेतु एजेंट नियुक्त करने

क्रमांक ..../सा.प्र.वि./2012 रायपुर दिनांक ....../01/2012

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में विभिन्न करों की वसूली हेतु 12वीं पास तथा कम्प्यूटर में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से दिनांक 11/02/2012 तक आवेदन आमंत्रित की जाती है। एजेंट को वसूल की गई राशि का 3 प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा।

आवेदन का प्रारूप एवं शर्तें नगर पालिक निगम, रायपुर की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.com से डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

नगर पालिक निगम, रायपुर हेतु
टैक्स एजेन्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो

1	आवेदक का नाम	....
2	पिता का नाम	....
3	निवासी का पूर्ण पता	....
		....
		....
4	व्यवसाय	....
5	शैक्षणिक योग्यता	....
	(अ) अकादमिक	....
	(तकनीकी)	....
6	जन्मतिथि	....
7	कम्प्यूटर पर कार्य करने संबंधी अनुभव	....
8.	एल.आई.सी. बैंक या पोस्ट आफिस में कार्य करने का अनुभव	....
9	दो पासपोर्ट साइज कलर फोटो	....
10	फोन नंबर, कार्यालय, निवास, मोबाईल	....
11	क्या आवेदक कभी गिरफ्तार हुआ है? सिद्धदोष या आरोपी है? विवरण दे	....
12	दो सम्मानित नागरिकों का संदर्भ दे जो आवेदक से परिचित हो	....
13	सुरक्षानिधि का विवरण दें, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक गारंटी, फिक्स डिपाजिट रसीद/कॉल डिपाजिट रसीद	....

घोषणा

आवेदक का नाम .... पिता का नाम .... उम्र .... निवासी .... यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णतः सत्य है। मैं इसकी सत्यता का जिम्मेदार हूँ। यदि कोई जानकारी असत्य होगी तो वैद्यानिक कार्यवाही के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। इति दिनांक ....।

आवेदक के हस्ताक्षर

....

दूरभाष क्रमांक ....

निवास ....

कार्यालय................................

मोबाईल ....

हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये
गवाह :–

1. हस्ताक्षर एवं दिनांक ....

   नाम एवं पूर्ण पता ....

2. हस्ताक्षर एवं दिनांक ....

   नाम एवं पूर्ण पता ....

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

एजेंट से अनुबंध की शर्तें

दिनांक .... से निगम के संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर एवं अन्यकर की वसूली हेतु निम्नानुसार शर्त निर्धारित की जाती है :–

1. टैक्स एजेंटों की संख्या नगर निगम रायपुर निर्धारित करेगी।
2. टैक्स एजेंट को नगर निगम की ओर से परिचय पत्र दिया जायेगा।
3. टैक्स एजेंट स्वयं ही टैक्स की वसूली करेगा। कोई अन्य व्यक्ति सहायक के रूप में नहीं रख सकेगा।
4. टैक्स एजेंट को उसकी माह भर की वसूली पर तीन प्रतिशत कमीशन के रूप में आगामी माह की 10 तारीख के बाद कमीशन का भुगतान चैक के माध्यम से नगर निगम रायपुर द्वारा किया जावेगा।
5. नगर निगम रायपुर में एजेंट हेतु आवेदन के साथ 3,00,000.00 (तीन लाख रूपये) नगद, एफ.डी.आर. या बैक गारंटी (दो साल की वैद्यता) जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नगर निगम का कोई कर्मचारी या पदाधिकारी का रिश्तेदार टैक्स एजेंट नही बन पायेगा।
7. टैक्स एजेंट हेतु न्यूनतम योग्यता (अर्हता) 12वीं पास तथा उसे कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
8. टैक्स एजेंट को निगम द्वारा टैक्स निर्धारण की विधि की प्रति दी जावेगी। उसके अनुसार वह स्वयं विवरणी की जांच प्रमाणित कर प्रतिवेदित करेगा कि भू–स्वामी/भवन स्वामी पर आरोपित टैक्स सही है।
9. निगम द्वारा जारी बिल एवं नोटिस की तामिली एजेंट द्वारा किया जावेगा।
10. टैक्स एजेंट द्वारा प्रमाणित टैक्स को निगम अपने राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य पदाधिकारी से किसी भी समय जांच करवा सकेगा। गलत पाये जाने पर टैक्स एजेंट का लायसेंस निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. टैक्स एजेंट स्वयं की रसीद छपवायेगा तथा रसीद का प्रमाणीकरण नगर पालिक निगम, रायपुर से करवायेगा। इस रसीद के माध्यम से कर वसूल कर राशि को निगम के खाते में चालान द्वारा जमा कर चालान की प्रति निगम में जमा कर निगम से जारी की गई रसीद प्राप्त कर भवन स्वामी अथवा करदाता को देगा।
12. एजेंट को नियुक्ति दिनांक के एक माह के अंदर पुलिस सत्यापन कराकर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।
13. टैक्स एजेंट करदाता के ऊपर टैक्स जमा करने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकेंगें।
14. एजेंट द्वारा करदाता से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। शिकायत आने पर निगम द्वारा जांच कर शिकायत सही पाये जाने पर अमानत राशि राजसात कर लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
15. एक वर्ष में उसे एम.आई.सी. मीटिंग में स्वीकृत एवं आयुक्त द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। लक्ष्य की पूर्ति न होने पर लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
16. टैक्स एजेंट द्वारा करारोपण से छूटे हुए भवनों में ही नियमनुसार करारोपण कर वसूली किया जावेगा। इन भवनों से प्राप्त टैक्स की राशि का ही 3% राशि टैक्स एजेंट को देय होगा।
17. लायसेंस देने या नहीं देने या स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार महापौर की अनुमति से आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को होगा।
18. टैक्स वसूली एजेंट नगद राशि को नगर निगम तक लाकर जमा करायेएवं उसके लिये प्रेरित करें। उन्हें Random Check कभी भी किया जा सकेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर